मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 30.06.2026

थाना कछवां क्षेत्रान्तर्गत स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट की घटना का 24 घण्टे के भीतर सफल अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त लूट की घटना से सम्बन्धित आभूषण, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार —

थाना कछवां जनपद मीरजापुर पर दिनांक 28.06.2026 को वादी अजय केशरी पुत्र स्व0 अलबेले निवासी कछवां बाजार जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वह सायंकाल लगभग 08:00 बजे जलालपुर स्थित अपनी आभूषण की दुकान को बंद कर कछवां बाजार वापस आ रहा था कि इसी दौरान सबेसर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ लूट की घटना कारित की गई । जिसके सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-145/2026 धारा 309(4),352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए दिनांक 29.06.2026 को थाना कछवां व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर दामोदरपुर बस्ती बह्द ग्राम मझवां के पास से अपाचे मोटरसाइकिल सवार 02 शातिर अभियुक्तों क्रमशः 1.अमन दुबे पुत्र स्व0राधेश्याम दुबे निवासी ककरा पार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व 2.कपिल यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी मझवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर तथा ग्राम धनैता मार्ग पुलिया के पास से तीसरे अभियुक्त गणेश प्रताप सिंह पुत्र स्व0पारसनाथ सिंह निवासी बगहा थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट की घटना से सम्बन्धित 05 अदद पायल (सफेद धातु),02 अदद टॉप्स (पीली धातु),01 अदद लॉकेट (पीली धातु), 01 अदद मोबाइल फोन, अभियुक्त अमन दुबे के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद किया गया । थाना कछवां पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।

विवरण पूछताछ — गिरफ्तार अभियुक्त अमन दुबे द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर नगर जेल में उसकी मुलाकर गणेश प्रताप सिंह से हुई थी वहीं से हमारी दोस्ती हुई । गणेश प्रताप मुझे यहां बुलाया था जहां मेरी मुलाकात कपिल यादव से हुई । हम तीनों लोग यहां रहकर लूट की घटना को कारित करते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1.गणेश प्रताप सिंह पुत्र स्व0पारसनाथ सिंह निवासी बगहा थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-26 वर्ष ।

2.अमन दुबे पुत्र स्व0राधेश्याम दुबे निवासी ककरा पार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब-20 वर्ष ।

3.कपिल यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी मझवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-145/2026 धारा 309(4),352,317(2) बीएनएस थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

बरामदगी विवरण—

- 05 अदद पायल (सफेद धातु)

☐ 02 अदद टॉप्स (पीली धातु)
☐ 01 अदद लॉकेट (पीली धातु)
☐ 01 अदद मोटरसाइकिल(घटना में प्रयुक्त)
☐ 01 अदद मोबाइल फोन
☐ 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस।

आपराधिक इतिहास— **_*अभि0गणेश प्रताप सिंह उपरोक्त—*_**

1. मु0अ0सं0-81/2015 धारा 504,506 भादवि थाना चुनार, मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-12/2023 धारा 141,142,143,341,504,506 भादवि, 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(va)एससी/एसटी एक्ट थाना कछवां, मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-42/2023 धारा 120बी,201,302,34,364 भादवि थाना घोरावल, सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0-45/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोरावल, सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0-105/2023 धारा 3(1)उ0प्र0गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम थाना घोरावल, सोनभद्र।
6. मु0अ0सं0-142/2024 धारा 308(5),351(3) बीएनएस थाना कछवां, मीरजापुर।
7. मु0अ0सं0-185/2025 धारा 137(2),87 बीएनएस थाना आलापुर, अम्बेडकरनगर।
8. मु0अ0सं0-22/2026 धारा 103(1),238,3(5) बीएनएस थाना कछवां, मीरजापुर।

*अभि0अमन दुबे उपरोक्त—*

1. मु0अ0सं0-201/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0-246/2025 धारा 317(2),336(3),338,340(2) बीएनएस व 3/25/9 आर्म्स एक्ट थाना जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

निरीक्षक अमरजीत चौहान, प्रभारी निरीक्षक कछवां मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक श्रीनिवास राय, थाना कछवां मय पुलिस टीम।
निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय पुलिस टीम।

****